



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एल.-अ.-08082026-275322
CG-ML-E-08082026-275322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 2026/श्रावण 17, 1948

No. 652]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 2026/SHRAVAN 17, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 716(अ).— केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और असम राइफल्स (समूह 'ग' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध हवलदार (कुक), हवलदार (भिशती), हवलदार (उपस्कर मोची), हवलदार (रंगसाज), हवलदार मेसन (राज), हवलदार (दर्जी), हवलदार (नाई), हवलदार (धोबी), हवलदार (सफाई), राइफलमैन (मसालची) के पदों से है, असम राइफल्स ट्रेडमैन (समूह 'ग' के योद्धक पद) भर्ती नियम 2013 को जहां तक उनका संबंध राइफलमैन (राजमिस्त्री), राइफलमैन (धोबी), राइफलमैन (मोची), राइफलमैन (दर्जी), राइफलमैन (पेंटर), राइफलमैन (पानी वाहक), राइफलमैन (रसोइया), राइफलमैन (नाई), राइफलमैन (सफाईवाला) के पदों से है और असम राइफल्स (समूह 'ग' के योद्धक पद) भर्ती नियम 2015 को जहां तक उनका संबंध हवलदार (मेसन) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में हवलदार (नाई), राइफलमैन (नाई), हवलदार (राजमिस्त्री), राइफलमैन (राजमिस्त्री), हवलदार (रंगसाज), राइफलमैन (रंगसाज), हवलदार (सफाई), राइफलमैन (सफाई), हवलदार (धोबी), राइफलमैन (धोबी), हवलदार (रसोई सेवा), राइफलमैन (रसोई सेवा), हवलदार सहायक कर्मचारीवृन्द (उपस्कर एवं मोची और दर्जी) और राइफलमैन सहायक कर्मचारीवृन्द (उपस्कर एवं मोची और दर्जी) के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, ट्रेड्समैन (समूह 'ग' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर,** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे सलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा और अर्हताएं आदि.** – उक्त पदों पर भर्ती पद्धति, आयु – सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
5. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.-** चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती हेतु चिकित्सक परीक्षण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी संशोधित एकरूप दिशा- निर्देशों के अनुसार होंगी।
7. **अधिवर्षिता** (1) इन नियमों के अधिन नियुक्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति उस मास के, अंतिम तारीख के अपराहन को जिसमें वह साठ वर्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित आयु पूरी कर लेता है, सेवा से सेवानिवृत्त होगा।
परन्तु वह व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी माह के पहले दिन को है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने या सेवानिवृत्ति की अवधि पूरी करने पर पिछले माह के अंतिम दिन के अपराहन को सेवानिवृत्त हो जाएगा।
किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की विहित आयु से परे सेवा में विस्तार की अवधि अनुदत्त नहीं की जाएगी।
- (8) **निर्वचन-** यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- (9) **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां आदेश द्वारा और कारणों को जिन्हे लेखबद्ध किया जाए इन नियमों के किन्हीं उपबंधों में से किसी व्यक्तियों के वर्ग या संवर्ग के संबंध में छूट दे सकेगी।
- (10) **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियासतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सेनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.हवलदार (नाई)	126*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय (योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4, (25500-81100₹)।	चयन

सीधे भर्ती के किए जाने व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणीयां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	
(10)		(11)	
प्रोन्नति द्वारा।		प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹) के ऐसे राइफलमैन (बारबर), जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो और बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

(12)					(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-					लागू नहीं होता।
1. विग्रेडियर कार्मिक या कर्नल (अभिलेख) असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. राइफलमैन (नाई)।	620* (2026)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसूचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹)।	लागू नहीं होता।	18 से 23 वर्ष की आयु के बीच। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। साथ ही, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी,

					न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चबां जिले के पांगी उपमंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हता: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। (2) ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। (3) संबंधित ट्रेड में एक वर्ष के कार्य अनुभव के संबंध में वचनबद्धता/स्व-प्रमाणन पत्र। शारीरिक और चिकित्सा मानक: शारीरिक और चिकित्सक मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर विहित स्कीम के अनुसार होंगे।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हैं।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स -अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। -सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। -सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ कअधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. हवलदार (राजमिस्त्री)।	27*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹) के ऐसे राइफलमैन (राजमिस्त्री) जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो,

			चिकित्सा श्रेणी शेष-1 हो और बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	--	--

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. विग्रेडियर कार्मिक या कर्नल (अभिलेख) असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो जूनियर अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. राइफलमैन (राजमिस्त्री)।	80*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹)।	लागू नहीं होता।	18 से 23 वर्ष की आयु के बीच। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। साथ ही, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल

					प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चवां जिले के पांगी उपमंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हता: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। (2) ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। (3) संबंधित ट्रेड में एक वर्ष के कार्य अनुभव के संबंध में वचनबद्धता/स्व-प्रमाणन पत्र। शारीरिक और चिकित्सा मानक: शारीरिक और चिकित्सक मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार होंगे।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हैं।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(11)	(12)					(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स -अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो -सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।					लागू नहीं होता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. हवलदार (रंगसाज)।	08*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹) के ऐसे राइफलमैन (रंगसाज) जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, चिकित्सा श्रेणी शेष-1 हो और बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित

		अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	--

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1. विग्रेडियर कार्मिक या कर्नल (अभिलेख) असम राइफल्स - अध्यक्ष;	
2. स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य;	
3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और;	
4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. राइफलमैन (रंगसाज)।	59*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसूचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 ₹)।	लागू नहीं होता।

(6)
18 से 23 वर्ष की आयु के बीच।
(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। साथ ही, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है)।
टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चबां जिले के पांगी उपमंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हता:	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास।		टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हैं।	टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य है।
(2) ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।			
(3) संबंधित ट्रेड में एक वर्ष के कार्य अनुभव के संबंध में वचनबद्धता/ स्व-प्रमाणन पत्र।			
शारीरिक और चिकित्सा मानक: शारीरिक और चिकित्सक मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर विहित स्कीम के अनुसार होंगे।			

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. हवलदार (सफाई)।	167*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹) के ऐसे राइफलमैन (सफाई) जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, चिकित्सा श्रेणी श्रेण-1 हो और बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. बिग्रेडियर कार्मिक या कर्नल (अभिलेख) असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. राइफलमैन (सफाई)।	908*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 ₹)।	लागू नहीं होता।	18 से 23 वर्ष की आयु के बीच। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। साथ ही, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और अन्य

					विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख होगी, न कि वह अंतिम तारिख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चबां जिले के पांगी उपमंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
(7)			(8)	(9)	(10)
शैक्षणिण अर्हता:			लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा।
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास।				टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हैं।	टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात् सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य है।
(2) ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।					
(3) संबंधित ट्रेड में एक वर्ष के कार्य अनुभव के संबंध मे वचनबद्धता/ स्व-प्रमाणन पत्र।					
शारीरीक और चिकित्सा मानक: शारीरिक और चिकित्सक मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर विहित स्कीम के अनुसार होंगे।					

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. हवलदार (धोबी)।	129*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 ₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	(11)			
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹) के ऐसे राइफलमैन (सफाई) जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, चिकित्सा श्रेणी शेष-1 हो और बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो।			

			टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	--	---

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. बिग्रेडियर कार्मिक या कर्नल (अभिलेख) असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. राइफलमैन (धोबी)।	710* (2026)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 ₹)।	लागू नहीं होता।	18 से 23 वर्ष की आयु के बीच। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। साथ ही, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चबां जिले के पांगी उपमंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए चिह्नित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हता: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। (2) ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। (3) संबंधित ट्रेड में एक वर्ष के कार्य अनुभव के संबंध में वचनबद्धता/स्व-प्रमाणन पत्र। शारीरिक और चिकित्सा मानक: शारीरिक और चिकित्सक मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार होंगे।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हैं।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात् सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य है।
(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।		लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. हवलदार (रसोई-सेवा)।	240*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसूचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹) के ऐसे राइफलमैन (रसोई-सेवा) जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, चिकित्सा श्रेणी शेष-1 हो और बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- - विग्रेडियर कार्मिक या कर्नल (अभिलेख) असम राइफल्स - अध्यक्ष; - स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; - असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; - असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूवेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातिका हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. राइफलमैन (रसोई-सेवा)।	1246* (2026)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 ₹)।	लागू नहीं होता।	18 से 23 वर्ष की आयु के बीच। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। साथ ही, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चबां जिले के पांगी उपमंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हता: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। (2) ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। (3) संबंधित ट्रेड में एक वर्ष के कार्य अनुभव के संबंध में वचनबद्धता/ स्व-प्रमाणन पत्र। शारीरिक और चिकित्सा मानक: शारीरिक और चिकित्सक मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर विहित स्कीम के अनुसार होंगे।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हैं।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. हवलदार सहायक कर्मचारीवृन्द (उपस्कर एवं मोची और दर्जी)।	100*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 ₹)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹) के ऐसे राइफलमैन सहायक कर्मचारिवृन्द (उपस्कर एवं मोची और दर्जी) जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो और बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. बिग्रेडियर कार्मिक या कर्नल (अभिलेख) असम राइफल्स - अध्यक्ष; 2. स्टाफ ऑफिसर-1 (प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; 3. असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; 4. असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. राइफलमैन सहायक कर्मचारीवृन्द (उपस्कर एवं मोची और दर्जी)।	430*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100₹)।	लागू नहीं होता।	18 से 23 वर्ष की आयु के बीच। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

					साथ ही, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भी आयु सीमा शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चबां जिले के पांगी उपमंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हता: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। (2) ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। (3) संबंधित ट्रेड में एक वर्ष के कार्य अनुभव के संबंध में वचनबद्धता/स्व-प्रमाणन पत्र। शारीरिक और चिकित्सा मानक: शारीरिक और चिकित्सक मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर विहित स्कीम के अनुसार होंगे।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हैं।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- - कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स - अध्यक्ष; - स्टाफ ऑफिसर-1(प्रशासन), असम राइफल्स जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो। - सदस्य; - असम राइफल्स से मेजर या डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी। - सदस्य और; - असम राइफल्स के दो कनिष्ठ अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का ना हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/ कार्मिक/ एफआरआर/ समूह 'ग'/ ट्रेड्समैन/2026]

अमित कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2026

G.S.R. 716(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006) and in supersession of the Assam Rifles (Group 'C' combatised posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Havildar Cook, Havildar Water Carrier, Havildar Equipment Boot Repair, Havildar Painter, Havildar Mason, Havildar Tailor, Havildar Barber, Havildar Washerman, Havildar Safai, Rifleman Masalchi, the Assam Rifles Tradesman (Group 'C' Combatised Posts) Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Rifleman (Mason), Rifleman (Washerman), Rifleman (Equipment Boot Repairer), Rifleman (Tailor), Rifleman (Painter), Rifleman (Water Carrier), Rifleman (Cook), Rifleman (Barber), Rifleman (Safai) and the Assam Rifles (Group 'C' Combatised Posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the post Havildar (Mason), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Havildar (Barber), Rifleman (Barber), Havildar (Mason), Rifleman (Mason), Havildar (Painter), Rifleman (Painter), Havildar (Safai), Rifleman (Safai), Havildar (Washerman), Rifleman (Washerman), Havildar (Kitchen Service), Rifleman (Kitchen Service), Havildar Support Staff (Equipment and Boot Repair and Tailor) and Rifleman Support Staff (Equipment and Boot Repair and Tailor) in the Assam Rifles, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assam Rifles, Tradesman (Group 'C' Combatised Posts) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person, –

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—The Medical fitness shall be as per revised uniform guidelines prescribed for recruitment medical examination for recruitment in the Central Armed Police Forces and the Assam Rifles, issued by the Ministry of Home Affairs from time to time.

7. **Superannuation.**—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of the month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years or superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

8. **Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these rules arises it shall be referred to the Central Government whose decision shall be final.

9. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Havildar (Barber).	126*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatized).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst Rifleman (Barber), in level-3 (Rs 21700-69100) in the pay matrix with minimum five years regular service in the grade with medical category SHAPE-I and must be qualified in mandatory pre-promotion course as prescribed by the Force from time to time. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Brigadier Personnel or Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Rifleman (Barber).	620* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Between 18 and 23 years. (Upper age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three years for Other Backward Classes. Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)		(8)	(9)		(10)	
(a) Educational Qualification: (i) 10 th pass from a recognised Board. (ii) Must qualify trade test. (iii) An undertaking or self certification regarding one year work experience in respective trade. (b) Physical and Medical Standard: Physical and Medical Standard as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.		Not applicable.	Two years. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).		By direct recruitment. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basis training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	
(11)	(12)					(13)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.					Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Havildar (Mason).	27*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non–Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	(11)			
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst Rifleman (Mason), in level-3 (Rs 21700-69100) in the pay matrix with minimum five years regular service in the grade with medical category SHAPE-I and must be			

		qualified in mandatory pre-promotion course as prescribed by the Force from time to time. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Brigadier Personnel or Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Rifleman (Mason).	80* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Between 18 and 23 years. (Upper age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three years for Other Backward Classes. Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
(7)		(8)	(9)		(10)
(a) Educational Qualification: (i) 10th pass from a recognised Board. (ii) Must qualify trade test. (iii) An undertaking or self certification regarding one year work experience in respective trade. (b) Physical and Medical Standard: Physical and Medical Standard as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.		Not applicable.	Two years. Note.-Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).		By direct recruitment. Note.-There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basis training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Havildar (Painter).	08*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	(11)			
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst Rifleman (Painter), in level-3 (Rs 21700-69100) in the pay matrix with minimum five years regular service in the grade with medical category SHAPE-I and must be qualified in mandatory pre-promotion course as prescribed by the Force from time to time. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.			
(12)						(13)
Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-						Not applicable.
1.	Brigadier Personnel or Colonel (Records), Assam Rifles			- Chairperson;		
2.	Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel			- Member;		
3.	One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles			- Member and;		
4.	Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe			- Members.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Rifleman (Painter).	59* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Between 18 and 23 years. (Upper age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three years for Other Backward Classes. Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Educational Qualification: (i) 10 th pass from a recognised Board. (ii) Must qualify trade test. (iii) An undertaking or self certification regarding one year work experience in respective trade. (b) Physical and Medical Standard: Physical and Medical Standard as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.	Not applicable.	Two years. Note. -Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	By direct recruitment. Note. -There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basis training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.
(11)	(12)		(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.		Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Havildar (Safai).	167*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)		
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst Rifleman (Safai), in level-3 (Rs 21700-69100) in the pay matrix with minimum five years regular service in the grade with medical category SHAPE-I and must be qualified in mandatory pre-promotion course as prescribed by the Force from time to time. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)				(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-				Not applicable.	
1. Brigadier Personnel or Colonel (Records), Assam Rifles		- Chairperson;			
2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel		- Member;			
3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles		- Member and;			
4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe		- Members.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Rifleman (Safai).	908* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Between 18 and 23 years. (Upper age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three years for Other Backward Classes. Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Educational Qualification: (i) 10th pass from a recognised Board. (ii) Must qualify trade test. (iii) An undertaking or self certification regarding one year work experience in respective trade. (b) Physical and Medical Standard: Physical and Medical Standard as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.	Not applicable.	Two years. Note.-Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	By direct recruitment. Note.-There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basis training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(11)	(12)					(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:					Not applicable.
	1. Colonel (Records), Assam Rifles			- Chairperson;		
	2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel			- Member;		
	3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles			- Member and;		
	4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe			- Members.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Havildar (Washerman).	129*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	(11)			
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst Rifleman (Washerman), in level-3 (Rs 21700-69100) in the pay matrix with minimum five years regular service in the grade with medical category SHAPE-I and must be qualified in mandatory pre-promotion course as prescribed by the Force from time to time. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.			

(12)					(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-					Not applicable.
1. Brigadier Personnel or Colonel (Records), Assam Rifles				- Chairperson;	
2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel				- Member;	
3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles				- Member and;	
4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe				- Members.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Rifleman (Washerman).	710* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-3 (Rs 21700-69100).	Not applicable.	Between 18 and 23 years. (Upper age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three years for Other Backward Classes. Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district

(11) Not applicable.	(12) Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.					(13) Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Havildar (Kitchen Service).	240*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	(11)			
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst Rifleman (Kitchen Service), in level-3 (Rs 21700-69100) in the pay matrix with minimum five years regular service in the grade with medical category SHAPE-I and must be qualified in mandatory pre-promotion course as prescribed by the Force from time to time. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.			
(12)						(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Brigadier Personnel or Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.						(13) Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Rifleman (Kitchen Service).	1246* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Between 18 and 23 years. (Upper age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three years for Other Backward Classes. Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
(7)			(8)	(9)	(10)
(a) Educational Qualification: (i) 10 th pass from a recognised Board. (ii) Must qualify trade test. (iii) An undertaking or self certification regarding one year work experience in respective trade. (b) Physical and Medical Standard: Physical and Medical Standard as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.			Not applicable.	Two years. Note. -Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	By direct recruitment. Note. -There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basis training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.
(11)	(12)				(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.				Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Havildar Support Staff (Equipment and Boot Repair and Tailor).	100*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(8)	(9)	(10)	(11)			
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst Rifleman Support Staff (Equipment and Boot Repair and Tailor, in level-3 (Rs 21700-69100) in the pay matrix with minimum five years regular service in the grade with medical category SHAPE-I and must be qualified in mandatory pre-promotion course as prescribed by the Force from time to time.			

			Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)					(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-					Not applicable.
1. Brigadier Personnel or Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Rifleman Support Staff (Equipment and Boot Repair and Tailor).	430* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Between 18 and 23 years. (Upper age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three years for Other Backward Classes. Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Educational Qualification: (i) 10 th pass from a recognised Board. (ii) Must qualify trade test. (iii) An undertaking or self certification regarding one year work experience in respective trade. (b) Physical and Medical Standard: Physical and Medical Standard as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time.	Not applicable.	Two years. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	By direct recruitment. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basis training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Colonel (Records), Assam Rifles - Chairperson; 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 3. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant, Assam Rifles - Member and; 4. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the Rank of Subedar (Level 7 in the Pay Matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Members.	Not applicable.

[F. No. A/Pers/FRRs/Group 'C'/Tradesman/2026]

AMIT KUMAR, Under Secy.